चन्द्रो देवी | रामकंवार वगैरा

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
अलवर (राज०)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही
27.8.21	कार्यालय प्रतिवेदन का अवलोकन किया। अपील subject to limitation दर्ज की जावे। विद्वान वकील अपीलांट की बहस सुनी। विद्वान वकील अपीलांटगण का कथन है कि धारा 212 के प्रार्थना पत्र को तहत अदालत में विचाराधीन रहते 7 साल से ज्यादा हो गया है। जबकि CPC के प्रावधानों के अनुसार प्रार्थना पत्र का निस्तारण 01 माह के अन्दर किया जाना चाहिये। विवादित भूमि खसरा नम्बर 58 से वादी प्रार्थी का कोई लेना देना नहीं है। इस खसरा नम्बर का मैं और तरतीबी रेस्पो० नम्बर 12 रेकॉर्डेड खातेदार हैं। कानूनन रेकॉर्डेड खातेदार के खिलाफ T.I. जारी नहीं की जा सकती। तहत अदालत ने अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व हमको सुनवाई का मौका प्रदान नहीं किया। अपीलाधीन निर्णय विधिसम्मत नहीं है। हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा विद्वान वकील अपीलांट की बहस पर मनन किया। अपील के साथ संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2074-77 में खसरा नम्बर 58 पर अपीलांट व तरतीबी रेस्पो० नम्बर 12 खातेदार दर्ज है। परन्तु तहत अदालत ने अपीलांट, जो कि रेकॉर्डेड खातेदार है, को बिना सुने उनकी आराजी खसरा नम्बर 12 पर अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर दी। यह अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 16.6.2014 को जारी की गई थी। इस प्रकार सिद्ध है कि धारा 212 का प्रा० पत्र तहत अदालत में पेश हुए 7 वर्ष से भी ज्यादा समय हो गया है और उक्त प्रा० पत्र का निस्तारण नहीं किया गया है। जब कि CPC के आदेश 39 नियम 3 (क) में प्रावधान किया गया है कि अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र का

— लगातार पीछे —

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
अलवर (राज०)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही

निस्तारण 01 माह के अन्दर किया जाना चाहिये। तहत अदालत ने धारा 212 की तीनों बिन्दूओं को भी विवेचित नहीं किया है। उपरोक्त समस्त तथ्यों के विवेचन की रोशनी में cpc में दी गई समयावधि के अन्दर धारा 212 के प्रा०पत्र का निस्तारण करने हेतु हम तहत अदालत को आदेशित किया जाना न्यायोचित समझते हैं।

अत: आदेश है कि अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार कर तहत अदालत का आदेश दिनांक 16.6.2014 आराजी खसरा नम्बर 58 रकबा 86 एयर नाके ग्राम [illegible] तहसील कोटकासिम जिला अलवर की हद तक स्थगित किया जाता है। तहत अदालत को आदेशित किया जाता है कि वो उनके वहाँ लम्बित धारा 212 R.T. एक्ट के प्रार्थना पत्र में उभयपक्ष को सुनकर धारा 212 के तीनों बिन्दूओं प्रथम द्रष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं नापूर्तिजनक क्षति को विवेचित कर cpc के आदेश 39 नियम 3(क) में दी गई समयावधि 01 माह के अन्दर प्रा० पत्र का निस्तारण करें। अपीलांट वास्ते सुनवाई तहत अदालत में नियत दिनांक को उपस्थित हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो।

- ख०न० 58 रकबा - 86 एयर में अपीलांट को अपने हिस्से तक स्थगन से मुक्त किया जाता है।

(हस्ताक्षर)
27/8/2021

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर